मिनरल एक्सप्लोरेशन एड कंसल्टेंसी लिमिटेड

(पूर्व में मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड)

(भारत सरकार का उद्यम)

राजभाषा प्रोत्साहन पॉलिसी

प्रस्तावना :

- मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल), नागपुर कार्यालय द्वारा सरकारी कामकाज मूल रुप से हिंदी में करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही। इस योजना को खान मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19 मई, 2023 के अनुपालना के अनुक्रम में पुनः संशोधित करके मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल) कार्यालय में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का लक्ष्य कार्मिकों को अपना सरकारी कार्य अधिक से अधिक हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकी भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाया जा सके।
- मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (एमईसीएल), नागपुर कार्यालय में सरकारी कामकाज मूल रुप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है :-

उद्देश्य:

इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के अनुक्रम में एमईसीएल मुख्यालय कार्यालय, युटीलिटी कॉम्पलेक्स, सीएमसी कार्यशाला, आरएमसी एवं सीएसडी हिंगणा, संपर्क कार्यालय-दिल्ली तथा सभी परियोजनाओं में पदस्थ कार्मिकों द्वारा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढाने संबंधी विशेष बल देना।

पात्रता :-

सभी श्रेणीयों के नियमित कार्मिकगण इस योजना में भाग ले सकते हैं जो सरकारी काम पुर्णतः या कुछ हद तक मूल रुप से हिंदी में करते हैं। भाग लेने वाले कार्मिकगण को वर्ष में कम से कम बीस हज़ार शब्द हिंदी में लिखने अनिवार्य है। ख एवं ग क्षेत्र के कार्मिकगण के लिए शब्द सीमा दस हजार शब्द हैं। इसमें मूल टिप्पण/आलेखन के अतिरिक्त हिंदी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके जैसे रजिस्टर इंदराज, सूची तैयार करना, लेखों का काम आदि भी शामिल किए जाएंगे।

पुरस्कार :-

भाग लेने वाले कार्मिकगण को उनके द्वारा किए गए हिंदी कार्यें के लिए कार्य के आधार पर निम्नलिखित नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे:-

क्षेत्र	कार्मिकों को क्षेत्र में शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार पुरस्कार प्रदान किया जाएगा	निर्धारित मात्रा	पुरस्कार राशि (रु. में वार्षिक आधार पर)
क.	बिहार, छत्तीसगढ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समुह संघ राज्य क्षेत्र।	200 यूनिट (20000 शब्द)	• सर्वोच्च स्थान प्राप्त पंद्रह कार्मिकगण (प्रथम से पंद्रह (1-15) स्थान हेतु) -प्रत्येक को रू. 700/- • सोलह से छतीस (16-36) स्थान प्राप्त बीस कार्मिकगण-प्रत्येक को रू. 500/- • सैतीस से सत्तावन (37-57) स्थान प्राप्त बीस कार्मिकगण-प्रत्येक को रू. 300/-
ख.	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।	100 यूनिट (10000 शब्द)	
ग.	क और ख क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र	100 यूनिट (10000 शब्द)	

मुल्यांकन मानदंड :

मुल्यांकन करने के लिए कुल 100 अंक होंगे जिसमें से 70 अंक हिंदी में किए गए काम की मात्रा के लिए और 30 अंक विचारों की स्पष्टता के लिए होंगे।

इस योजना में भाग लेने वाले प्रतिभागीजन को संलग्न प्रपत्र में वार्षिक आधार पर उक्त अवधि अर्थात 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक के दौरान हिंदी में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा दिए गए प्रपत्र में भरकर उसे अपने अगले उच्चाधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित करवाने के बाद उचित माध्यम द्वारा हिंदी अनुभाग को प्रस्तुत करना होगा। सत्यापन के लिए किए गए कार्य के नमूने भी संलग्न करें।

प्रपत्र :

श्री/श्रीमती/सुश्री----------

------की 01/04/2024 से 31/03/2025 तक हिंदी के मूल काम की विवरणी।

क्र.सं.	तिथि	कुल फाइलों/रजिस्टरों आदि की संख्या जिनमें हिंदी में काम किया गया है	हिंदी में लिखी गई टिप्पणी और आलेखन के शब्दों की संख्या	हिंदी में किया गया अन्य कार्य	शब्दों की संख्या	उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
अनुभाग.....

पुरस्कारों का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

वर्षा रामटेके 28.7.24
श्रीमती वर्षा रामटेके
सहा.प्रबंधक (वेधन), सदस्य

विकास कुमार 29.7.2024
श्री विकास कुमार
प्रबंधक (भूविज्ञान), सदस्य

आलोक 26/07/2024
श्री आलोक डहरवाल
प्रबंधक (भूविज्ञान), सदस्य

हरप्रसाद मिश्रा 26/07/2024
श्री हर प्रसाद मिश्र
प्रबंधक (वित्त), सदस्य

निरंजन मिश्रा 29/7/24
श्री निरंजन मिश्रा
उप महाप्रबंधक (मा.सं.), अध्यक्ष